निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 389) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

सं0 के/कारा/रा0प0—20/09—2890

गृह (कारा) विभाग

————————

संकल्प

30 जून 2011

दिनांक 28 अप्रील 2009 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, सहरसा के निदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा द्वारा मंडल कारा, सहरसा के अन्दर औचक छापामारी की गई तथा कारा के अन्दर बंदी आनन्द मोहन सिंह के साथ दो बाहरी व्यक्ति जिनके नाम मुलाकाती पूर्जा निर्गत नहीं था, बैठे पाये गए। उक्त छापामारी के समय मंडल कारा, सहरसा के तत्कालीन अधीक्षक श्री देवेन्द्र प्रसाद अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गए। जिलाधिकारी सहरसा द्वारा अपने पत्रांक 199, दिनांक 28 अप्रील 2009 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि छापामारी के दौरान पूछताछ के क्रम में कारा कर्मियों द्वारा श्री प्रसाद, अधीक्षक को दिनांक 25 अप्रील 2009 की संध्या से अनुपस्थित बताया गया जबकि तत्कालीन सहायक कारापाल, श्री राम किशोर राम द्वारा सूचना दी गई कि अधीक्षक श्री प्रसाद दिनांक 26 अप्रील 2009 की संध्या से अनुस्थित थे। जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा श्री प्रसाद अधीक्षक के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित उक्त आरोपों के लिए श्री प्रसाद अधीक्षक से गृह (विशेष) विभाग, बिहार के पत्रांक 3545, दिनांक 28 मई 2009 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया कि वे दिनांक 25 अप्रील 2009 से 27 अप्रील 2009 तक अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित थे एवं मात्र 28 अप्रील 2009 को अपनी पुत्री के इन्जीनयरिंग प्रवेश परीक्षा प्रपत्र में हस्ताक्षर करने हेतु सहायक कारापाल को प्रभार

सौंपकर पटना आये थे। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि बारम्बार प्रयास के बावजूद जिलाधिकारी सहरसा से मुलाकात अथवा बात नहीं हो पाने के कारण वे मुख्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति नहीं प्राप्त कर पाये।

श्री प्रसाद, अधीक्षक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी सहरसा से मंतव्य प्राप्त किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सहायक कारापाल श्री राम किशोर राम के लिखित बयान के आधार पर दिनांक 25 अप्रील 2009 से 27 अप्रील 2009 तक कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने के श्री प्रसाद के दावे को असत्य एवं मुख्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति प्राप्त करने के प्रयास को सत्य से परे एवं मनगढंत बताया गया।

सम्पूर्ण तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा के विरुद्ध दिनांक 26 अप्रील 2009 की संध्या से 28 अप्रील 2009 तक कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता से संबंधित आरोप प्रमाणित पाये गए।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा को दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया जाता है। अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि सेवा में टूट मानी जाएगी।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारी को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी प्रसाद चौहान,
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 389-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in